बा0आर0 टम्टा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंह नगर/हरिद्वार

समाज कल्याण अनुभाग–3 देहरादून दिनांक 27 जुलाई, 2010

विषयः–बहुक्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत जनपद हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर में द्वितीय चरण के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु धनराशि निर्वतन पर रखते हुये आहरण की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, भारत सरकार के शासनादेश संख्या–3/20(1)/2008-PP-I दिनांक 10 फरवरी, 2010 एवं 3/20(2)/2008-PP-I दिनांक 10 फरवरी, 2010 (छायाप्रतियां संलग्न) के क्रम में जनपद उधमसिंह नगर/हरिद्वार हेतु निम्नानुसार धनराशि भारत सरकार उक्त शासनादेश में प्राविधानित एवं अधोवर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जनपद हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर में निम्न तालिकानुसार कुल 188 आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु प्रति केन्द्र मानक आंगणन की संस्तुत लागत रुपये 2.88 लाख के अनुसार कुल रुपये 541.44 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में **जनपद हरिद्वार हेतु रुपये 208.80 लाख (रुपये दो करोड़ आठ लाख अस्सी हजार मात्र) एवं जनपद उधमसिंह नगर हेतु रुपये 61.92 लाख (रुपये एकसठ लाख बयान्बे हजार मात्र)** की धनराशि संबंधित जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखते हुये आहरण/व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(लाख में)

क्रमांक	जनपद का नाम	परियोजना का नाम	नवीन स्वीकृत केन्द्रों की संख्या	भा0स0 से प्राप्त कुल आवंटन	प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति	अवशेष धनराशि
1.	हरिद्वार	आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण (द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रथम किश्त)	145	217.50	208.80	8.70
2.	उधमसिंह नगर	आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण (द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रथम किश्त)	43	64.50	61.92	2.58

2. उक्त धनराशि इस आशय पर निवर्तन पर रखते हुये आहरण/व्यय की स्वीकृति प्रदान की जा रही है कि स्वीकृत की जा रहे केन्द्रों को एक से अधिक कार्यदायी संस्थाओं (आर.ई.एस/सिंचाई/लघु सिंचाई इत्यादि) से कार्य करायें जायेंगे, ताकि प्रतिस्पर्द्धा के कारण कार्यदायी संस्थायें समय से कार्य पूर्ण कर सकें। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के अनुसार निर्धारित प्रथम पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

3. उक्त के साथ पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं निर्माण हेतु प्रस्तावित केन्द्रों की प्रामाणिक सूची भी साथ में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4. भारत सरकार के शासनादेश संख्या–3/20(1)/2008-PP-I दिनांक 10 फरवरी, 2010 एवं 3/20(2)/2008-PP-I दिनांक 10 फरवरी, 2010 में निहित प्रतिबन्ध/दिशा–निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

5. वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्याः–515/XXVII(1)/2008 दिनांक 28 जुलाई, 2009 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

7. अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।

8. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।

9. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आंवटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्ये बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या–15 तथा आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

10. मितव्ययता के संबंध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

11. यदि किसी योजना के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की मांग अपेक्षित हो तो उसका औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय–सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।

14. बी0एम0–13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

15. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक 2250–अन्य सामाजिक सेवायें–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें–0101–अल्पसंख्यक समुदाय हेतु मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट योजना (100% के0स0) के मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

16. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः–129(P)/XXVII(3)/2010, दिनांक 22 जुलाई, 2010 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(बी0आर0 टम्टा)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः— 930 (1) / XVII-3/10-02(Budget)/09 **तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, हल्द्वानी—नैनीताल।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी—हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर।
9. वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग—3, उत्तराखण्ड शासन।
10. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
11. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(बी0आर0 टम्टा)
अपर सचिव।